



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230818
CG-DL-E-29102021-230818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4163]
No. 4163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4524(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड, 'मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (पैन AAALM2479H) को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः:

- (क) सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों से अनुदान अथवा वित्तीय सहायता;
- (ख) सहमति शुल्क अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;
- (ग) वायु गुणवत्ता तथा जल गुणवत्ता पर विश्लेषण शुल्क अथवा ध्वनि स्तर सर्वेक्षण शुल्क;
- (घ) प्राधिकार शुल्क;
- (ङ) उपकर प्रतिपूर्ति तथा उपकर अपील शुल्क;
- (च) राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्ययों की प्रतिपूर्ति, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधन तथा समान स्कीमों की निगरानी;

- (छ) पर्यावरण कानून, विनियमों, महत्वपूर्ण न्यायिक आदेशों तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित पुस्तकों की बिक्री जहाँ कोई भी लाभ तत्व शामिल नहीं है तथा कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति का नहीं है;
- (ज) जमा राशियों पर ब्याज;
- (झ) जन सुनवाई शुल्क;
- (ञ) वाहन उत्सर्जन निगरानी परीक्षण शुल्क;
- (ट) राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त शुल्क;
- (ठ) बोर्ड के पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए संग्रहीत शुल्क जहाँ कोई लाभ तत्व शामिल नहीं है तथा कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति का नहीं है;
- (ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क तथा अपील शुल्क;
- (ढ) स्टाफ को दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज; तथा
- (ण) प्रदूषण लागत अथवा गैर अनुपालना के कारण बैंक गारंटी की जब्ती।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-
- (क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
- (ख) कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 126/2021/फा. सं. 300196/3/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4524(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Madhya Pradesh Pollution Control Board' (PAN AAALM2479H), a Board constituted by the State Government of Madhya Pradesh under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, in respect of the following specified income arising to the Board, namely:-

- Grant or financial assistance from Governments or its agencies;
- Consent fees or no objection certificate fees;
- Analysis fees on air quality and water quality or noise level survey fees;
- Authorization fees;
- Cess re-imbursement and cess appeal fees;

- (f) Reimbursement of the expenses received from the Central Pollution Control Board towards National Air Monitoring Program, the Monitoring of Indian National Aquatic resources and like schemes;
- (g) Sale of books relating to environmental law, regulations, important judicial orders and environmental issues where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
- (h) Interest on deposits;
- (i) Public hearing fees;
- (j) Vehicle emission monitoring test fees;
- (k) Fees received for processing by State Environmental Impact Assessment Authority;
- (l) Fees collected for training conducted by the Environmental Training Institute of the Board where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
- (m) Fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and appeal fees;
- (n) Interest on loans and advances given to the staff; and
- (o) Pollution cost or forfeiture of bank Guarantee due to non-compliance.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Madhya Pradesh Pollution Control Board,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 126/2021/F. No. 300196/3/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.